रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267120
CG-DL-E-25102025-267120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947
No. 701] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(केवीआई-2 अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 785(अ).— राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा, जो कि एक स्वायत्तशासी निकाय है, में समूह 'क' पद हेतु भर्ती पद्धति को नियंत्रित करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोज्य**– ये नियम संलग्न अनुसूची के कॉलम में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

4. **भर्ती प्रक्रिया, आयु-सीमा, योग्यता आदि**- उक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया, आयु-सीमा, योग्यता तथा संबंधित अन्य मामलों के लिए उपरोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

5. **आरंभिक गठन** – (1) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में कार्यरत व्यक्ति इन नियमों के लागू होने की तारीख से उस पद पर नियुक्त समझा जाएगा, जिस तारीख से वे नियमित आधार पर उक्त पद धारित थे।

(2) इन नियमों के तहत आरंभिक गठन में उनकी नियुक्ति से पूर्व पद पर उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित सतत सेवा की गणना परिवीक्षाधीन अवधि, पदोन्नति, स्थाईकरण और पेंशन आदि के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

6. **भारत भर में सेवा करने की जिम्मेदारी**: – इन नियमों के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. **प्रशिक्षण लेने की जिम्मेदारी** – इन नियमों के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे भारत में प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम जिसकी अवधि छः महीने अथवा अधिक हो अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे भारत से बाहर किसी निजी फार्म, फैक्टरी अथवा भारत की प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया हो, प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम की अवधि को ध्यान में रखे बिना प्रशिक्षण का पूरा खर्च अथवा लागत वापस करनी होगी, यदि, किसी कारण से वह प्रशिक्षण के दौरान अथवा ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अपनी सेवाएं छोड़ने का विकल्प चुनता/चुनती है।

8. **अयोग्यता** – कोई व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है, अथवा विवाह का करार करता है जिसका पति या पत्नी जीवित है, और

(ख) जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह करता है अथवा विवाह का करार करता है,

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के तहत ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने का अन्य आधार भी हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम में छूट दे सकती हैं।

9. **छूट देने की शक्ति** – जहां महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा की सामान्य परिषद की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहाँ वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में, लिखित रूप में कारण बताकर आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही प्रावधानों में छूट दे सकती है।

10. **व्यावृत्ति** – इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अपेक्षित अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	01 (2025)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित अननुसचिवीय	(वेतन स्तर-14) (रु. 144200–218200)	लागू नहीं	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष होगी। अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी, अधिकतम कार्यकाल 05 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।	**अनिवार्य:** विज्ञान, अभियांत्रिकी अथवा प्रबंधन में पीएचडी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि सहित), सम्पूर्ण शैक्षिक अवधि के दौरान बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड सहित इसके पहले वाली डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ग्रेड और उद्योग या ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास में शिक्षण या अनुसंधान का 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक उत्कृष्ट अभियंता अथवा प्रौद्योगिकीविद् अथवा उद्योग में अथवा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अथवा प्रसिद्ध अनुसंधान प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक और जिन्होंने ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है किन्तु उनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है अथवा पूर्ववर्ती डिग्री स्तर पर प्रथम श्रेणी नहीं है, के मामले पर भी अपवाद स्वरुप विचार किया जा सकता है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती प्रक्रिया क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा स्थानांतरण / आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	1(एक) वर्ष।	सीधी भर्ती या अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा। **टिप्पणी:** यदि किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन	**प्रतिनियुक्ति:** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा निगम अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी - (क)(i) जो नियमित	लागू नहीं	लागू नहीं। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) 1860 के तहत पंजीकृत एक

		अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष अथवा अधिक के लिए कोई पद खाली होता है तो उसे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों से, जो नियमित आधार पर समतुल्य पद धारित हैं तथा कॉलम (7) के तहत निर्धारित योग्यता रखते हैं, से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण से भरा जा सकता है।	आधार पर समतुल्य पद धारित करते है; अथवा (ii) जिनकी वेतन स्तर 13 (रु. 123100-215900) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा है। (ख) कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं। **टिप्पणी 1**. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पणी 2**. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (लघु आवधिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी। **भूतपूर्व सैनिकों हेतु:** **प्रतिनियुक्ति/पुन: नियुक्ति** सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक सेवानिवृत्ति के करीब हों अथवा एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित रखने के लिए स्थानांतरित होने वाले हैं तथा प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों, उन कार्मिकों पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयन होता है तो ऐसे अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि तब तक होगी जिस तारीख को वे सशस्त्र		स्वायत्तशासी संगठन है तथा निदेशक पद का चयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित जांच-सह-चयन पद्धति के माध्यम से किया जाना है। नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाती है।

			सेना से कार्यमुक्त होंगे। इसके बाद, उन्हें पुन: नियुक्ति शर्तों पर रखी जा सकती है। इस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व यदि कोई पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाए अथवा आरक्षित रखने हेतु स्थानांतरित हो जाए, तो उस मामले में उनकी नियुक्ति पुन: नियुक्ति आधार पर होगी (सिविल पदों की तरह ही अधिवर्षिता की आयु तक पुन: नियुक्ति)।		

[फा. सं. जे /7/2025- केवीआई-(2)]

विपुल गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(KVI-2 Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

G.S.R. 785(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post in the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha, an Autonomous Institute under the administrative control of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha (Group 'A') Service Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the post specified in columns of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, Classification and Scale of Pay** – The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial constitution**. – (1) The person who is working as Director on regular establishment in Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha, on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the post corresponding to that which he or she is holding on regular basis on that date.

   (2) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) - on the post prior to their appointment at the initial constitution under these rules, shall count for the purpose of probation period, the qualifying service for promotion, confirmation and pension, etc.

6. **Liability to serve throughout India**. – Any person appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

7. **Liability to undergo training** – Any person appointed under these rules shall be liable to undergo such training or course as Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha, may decide from time to time. Any

person detailed in India for training or course the duration of which is six months, or more, or any person detailed in training outside India, with private firms, factories or laboratories in India, irrespective of the duration of the training or course, shall be liable to refund in full the expenses or cost of training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training he or she opts to discontinue his or her service.

8. **Disqualification** – No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Power to relax** - Where the General Council of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other backward Classes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Scale of Pay**	**Whether Selection Post or non-Selection post**	**Age Limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Director	01 (2025)	General Central Service Group'A' Gazetted Non Ministerial	(Pay Level-14) (Rs.144200–218200)	Not Applicable	The Upper age Limit shall be 58 years on the last date of receipt of application. The superannuation age shall be 60 years, with a maximum tenure of 05 years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier.	**Essential:** Ph.D. in Science, Engineering or Management (with Science and Technology background) first class or equivalent grade at the preceding degree with very good academic record throughout academic period and 15 years experience of teaching or research in industry or rural technology development of which at least 5 years should be at the level of Chief Scientific Officer. An outstanding Engineer or Technocrat or Scientist working in Industry or Non-Government Organization (NGO) or Research Laboratory with established reputation and who has made significant contribution to the field of rural industrialization but not having a Ph.D. degree

						or first class in preceding degree could also be considered in exceptional cases.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion / deputation / absorption Grades from which promotion / deputation / absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not Applicable	1(One) Year.	Direct recruitment or by deputation from other organizations. **Note:** Posts caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officers of the Central Government or a State Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed under column (7)	**Deputation:** Officer of the Central Government or a State Government or a Statutory Body or Corporation or Autonomous organization – (a)(i) holding analogous post on regular basis; Or (ii) with three years regular service in the post in the Pay Level 13 (Rs. 123100-215900). (b)Possessing educational qualifications as specified under column 7. **Note 1**. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government or the State Government shall ordinarily not	Not applicable	Not applicable. Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha is an autonomous organization registered under Societies Registration Act, 1860 (XXI) of 1860) and Selection to the post of Director is to be made through Search-cum-Selection procedure approved by Department of Personnel and Training. Appointment is made with the approval of Appointments Committee of the Cabinet.

			exceed three years which may be extended for a further period of two years **Note 2**. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 58 years as on the closing date of receipt of application. The age of superannuation for person on deputation shall be 60 years. **For Ex-Servicemen: Deputation / re-employment** The Armed Forces personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case, such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to Civil posts).		

[F. No. J/7/2025-KVI-(2)]

VIPUL GOEL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.25 00:58:19 +05'30'